रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259847
CG-DL-E-02012025-259847

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2025/ पौष 12, 1946
No. 04] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2025/ PAUSHA 12, 1946

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2025

का.आ. 04(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एतदद्वारा चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश को चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024-

(i) के अनुच्छेद 2 में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"यह भी प्रावधान है कि यदि ब्यूरो द्वारा प्रमाणित कोई विनिर्माता या ऐसा निर्माता जिसने मूल आदेश की अनुसूची 'क' के अंतर्गत आने वाले उत्पाद या वस्तुओं के लिए ब्यूरो को प्रमाणन के लिए आवेदन किया है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) की धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन इस आदेश में उल्लिखित कार्यान्वयन की समयसीमा के प्रारंभ होने से पहले घोषित करता है कि उसके पास भारतीय मानक ब्यूरो मार्क के बिना पुराने स्टॉक उत्पाद हैं, जो इस प्रकार की शुरूआत से पहले निर्मित या आयात किए गए हैं, तो ऐसे निर्माता को 30 जून, 2025 तक ऐसे घोषित स्टॉक को बेचने या प्रदर्शित करने या बेचने का प्रस्ताव करने की अनुमति होगी।"

(ii) अनुसूची क में कार्यान्वयन हेतु समयसीमा में परिवर्तित किया जाएगा, अर्थात: -

"(क) बड़े और मध्यम उद्यमों के लिए दिनांक 1 जनवरी 2025
(ख) लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2025"

[फा. सं. 6/1/2021-आर एंड डी (भाग 4)]

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

टिप्पणी –

(1) इस आदेश के संबंध में मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों की परिभाषा को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) से देखा जाएगा।

(2) मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) में एसओ 4634(ई) दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 1st January, 2025

S.O. 04(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Medical Textiles (Quality Control) Order, 2024, namely: -

1. (1) This Order may be called the Medical Textiles (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Medical Textiles (Quality Control) Order, 2024, -

(i) in paragraph 2, before Explanation, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that if any manufacturer certified by the Bureau or any manufacturer who has applied for certification to the Bureau for the goods of articles covered under Schedule A of the Principal Order, declares prior to the commencement of the timeline of implementation as mentioned in this Order, under sub-section (4) of section 18 of the Bureau if Indian Standards, Act 2016 (11 of 2016) its old stock products without Bureau of Indian Standards Mark manufactured or imported prior to such commencement, such manufacturer shall be permitted to sell or display of offer to sell such declared stock up to 30th June, 2025.",

(ii) in Schedule A, under column relating to Timeline for implementation, for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"(a) For Large and Medium Enterprises- 1st January, 2025.

(b) For Small and Micro Enterprises- 1st April, 2025.".

[F. No. 6/1/2021-R &D (Pt.4)]

RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.

Note. –

(1) Definition of Medium, Small and Micro Enterprises, with regards to this Order is to be referred from the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).

(2) The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section(ii), vide number S.O. 4634(E), dated the 23rd October, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.01.02 14:30:58 +05'30'